न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट गोलाकाबास)

वाद संख्या :— 02/115/2010

पांच्या बनाम सियाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 24.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट गोलाकाबास पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 12.07.2010 को आराजी विवादित खसरा संख्या 201/0.09, 202/0.16, 203/0.13, 204/0.12, 205/0.20 वाके ग्राम खीरत का बास तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 28.09.2010 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश भी जारी किए गए। अप्रार्थी 01 व 02 की ओर से दिनांक 04.08.2017 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की दिनांक 25.03.2011 को एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2010 से प्रभावी चल रहा है जिसे करीब 8 वर्ष का समय हो गया है इसलिए इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 12.07.2010 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित खसरा संख्या 201/0.09, 202/0.16, 203/0.13, 204/0.12, 205/0.20 वाके ग्राम खीरत का बास तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 12.07.2010 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट गोलाकाबास)